

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

II/2/01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाष क्रमांक-0771-2221480, फैक्स क्रमांक-0771-2221141, e-mail- dp.cg@nic.in

क्रमांक / /ई-पंचायत/14वें वित्त/2018/296 नया रायपुर, दिनांक 24.3.2018
प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत-छत्तीसगढ़

विषय :- प्रिया साफ्ट में जानकारी की एन्ट्री के लिए सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को जिम्मेवार करने बाबत।

--:0:--

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंचा./आर.जी.एस.ए./2018/291 दिनांक 24.03.2018 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार अभी भी वर्ष 2016-17 की 6539 ग्राम पंचायतों की इयर बुक प्रिया साफ्ट में बंद नहीं की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की इयर बुक भी अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह तक प्रिया साफ्ट में किया जाना है। यह काफी विस्तृत कार्य है तथा आवश्यक भी है क्योंकि इसके बिना वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान प्रभावित होगा। इस संबंध में संचालनालय के पत्र दिनांक 08.12.2017 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। जिसमें लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से डाटा एन्ट्री करवाने एवं भुगतान की दर एवं प्रक्रिया के संबंध में निर्देश है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों के लेखा की प्रिया साफ्ट में समयावधि में एन्ट्री के लिये संबंधित सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जिम्मेवार रहेंगे। जिन ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह तक वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का इयर बुक प्रिया साफ्ट में बंद नहीं किया जायेगा उसके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

इसी प्रकार जिला एवं जनपद पंचायतों के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का इयर बुक बंद किया जाना सुनिश्चित करें।

(यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है)



(तारन प्रकाश सिन्हा)


संचालक

पंचायत, संचालनालय

छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक / /ई-पंचायत/14 वें वित्त/2018/296 नया रायपुर, दिनांक 24.3.18
प्रतिलिपि :-

- 1 अवर सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को कृपया सूचनार्थ।
- 2 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 3 समस्त उप संचालक (पं), जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- 4 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संचालक

पंचायत, संचालनालय

छत्तीसगढ़, रायपुर